


हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रामाराम बनाम चैताराम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की
तामील में जारी

27-06-25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित
पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में
वादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं।
अधिवक्ता वादीगण को साक्ष्य पेश करने हेतु
पर्याप्त अवसर दिया गया। न्यायद्वि में
पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद अधिवक्ता
वादीगण द्वारा वादी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।
इससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता वादी एवं स्वयं
वादी अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।
लिखाजा आदेशिका दिनांक 24.02.25 की पालना
में वादीगण का वाद 'अदम पालना' में रजिस्ट्रिज
(आदेश 03, नियम 05 CPC) किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दारिखल दफतर हो
व नंबर से कम हो।


सहायक कमिश्नर
(SDO), बाड़मेर